10/8/20

आज यह पत्रावली वाद में प्रा० पत्र पेश
होने के कारण पेशी में की गई कुल
वाद का निस्तारण होने के कारण प्रा० पत्र
धारा औचित्यहीन है इसलिए प्रा० पत्र धारा
धारा इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो
नत्थी के बाद हो

कोर्ट

g.f. by me

ओमप्रकाश